इस पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि (1) अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा मत विभाजन नहीं करवाया गया है बल्कि अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया जो नियमानुकूल नहीं है। (2) मौजा में 41 जमाबन्दी है। एक जमाबन्दी में एक वोटर होना चाहिए किन्तु अंचल अधिकारी द्वारा 72 जमाबन्दी रैयतों की सूची समर्पित किया गया है जो द्वितीय अनियमिताएँ है।

उत्तरकारी के विद्वान का कहना है कि जमाबन्दी रैयतों को नोटिस किया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा सभी रैयतों का जांच एवं सत्यापन किया गया है। उन्हें सबसे अधिक मत प्राप्त हुआ है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के रूल्स 1950 के रूल 3(2) में धारा 05 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति हेतु 2/3 रैयतों की सहमति आवश्यक है। अनुमंडल पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित जमाबन्दी रैयतों की सूची के आधार पर विधिवत मतदान कराकर अनुशंसा के साथ न्यायालय को सूचित करने हेतु दिनांक 17.06.2013 को आदेश दिया गया। अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने अपने पत्रांक 1027/रा0 दिनांक 12.11.2011 द्वारा निम्न न्यायालय को रैयतों का मतगणना कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि प्रखंड मुख्यालय के विकास भवन में आयोजित प्रधान चुनाव हेतु 72 रैयतों में से 59 रैयत उपस्थिति थे। उपस्थित रैयतों में से अपीलकर्त्ता को 22 मत एवं उत्तरकारी को 37 मत प्राप्त हुए। इसप्रकार अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित सूची में 2/3 रैयतों की उपस्थिति एवं उत्तरकारी को अधिक मत प्राप्ति के आधार पर उन्हें मौजा का प्रधान पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा किया गया। तत्पश्चात अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा उत्तकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया जो सही प्रतीत होता है।

अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

Rahul
उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर0एम0आर0 सं0– 02/2014–15

लड़धू सोरेन ..... आवेदक

बनाम

श्रीनाथ राउत .....विपक्षी

।। आदेश ।।

02/04/2016 यह आर0एम0आर0 सं0– 02/2014–15 लड़धू सोरेन बनाम् श्रीनाथ राउत, मौजा मोहनपुर, अंचल रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0– 658/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध दायर किया गया है।

मैंने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा मोहनपुर के अंतिम प्रधान मिसिर राउत थे। जिन्हें उपायुक्त, दुमका द्वारा पी0डी0 वाद सं0 176/1970–71 आदेश दिनांक 31.07.1974 द्वारा बर्खास्त किया गया। इसके विरूद्ध में माननीय आयुक्त, भागलपुर के न्यायालय में दायर रे0मि0 अपील सं0 23/1974–75 में भी बर्खास्तगी के आदेश के बरकरार रखा गया है। तत्पश्चात उनके द्वितीय पुत्र (विपक्षी) को निम्न न्यायालय द्वारा प्रधान पद पर सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के धारा 06 के अन्तर्गत प्रधान पद पर नियुक्त किया गया था। इसके विरूद्ध में इस न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद सं0 73/2007–08 दायर किया गया था। इस वाद में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा वाद को पुनर्विचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात निम्न न्यायालय द्वारा सं0प0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए अंचल अधिकारी से रैयतों की सूची की मांग की गई है। अंचल अधिकारी द्वारा 72 रैयतों की सूची समर्पित किया गया। सूची प्राप्ति के पश्चात अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.06.2013 को अंचल अधिकारी को आदेश दिया गया कि "प्राप्त जमाबन्दी रैयतों की सूची के आधार पर विधिवत मतदान कराकर अपने अनुशंसा के साथ अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें।" अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार अंचल अधिकारी के पत्रांक 1027/रा0 दिनांक 12.11.2013 एवं पत्रांक 1119/रा0 दिनांक 20.12.2013 को समर्पित प्रतिवेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि 72 जमाबन्दी रैयतों में से 59 रैयत उपस्थित थे एवं उपस्थित रैयतों में से 37 रैयतों ने विपक्षी श्रीनाथ राउत के पक्ष में समर्थन दिया। इसी आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा विपक्षी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।